



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092021-229595  
CG-DL-E-14092021-229595

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2021/भाद्र 23, 1943

No. 517]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021/BHADRA 23, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 631(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में खंड 3 के परंतुक में :-

(I) मद संख्यांक (xiii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात:-

“(xiii) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड”;

(II) मद संख्यांक (xx) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“(xxi) एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड”।

[फा. सं. एम-12043/(11)/138/2021-ओएमसी-पीएनजी]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 518(अ) तारीख 05 जून, 2000 के द्वारा प्रधान आदेश प्रकाशित किया गया था और इसे सा.का.नि. 281(अ) तारीख 26 मार्च, 2010 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### ORDER

New Delhi, the 13th September, 2021

**G.S.R. 631(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000, in clause 3, in the proviso,-

(I) for item (xiii), the following item shall be substituted, namely:-

“(xiii) Brahmaputra Cracker and Polymer Limited”;

(II) after item (xx), the following item shall be inserted, namely:-

“(xxi) HPCL-Mittal Energy Limited”.

[F. No. M-12043(11)/138/2021-OMC-PNG]

Dr.NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

**Note :** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 sub-section (i) *vide* number G.S.R. 518(E) dated the 5<sup>th</sup> June, 2000 and lastly amended *vide* number G.S.R. 281(E) dated the 26<sup>th</sup> March, 2010.